राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :–802/2024

दीपा खुलकोटी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का समायोजन आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा रा.उ.मा.वि., बगराना, जयपुर से रा.उ.मा.वि., अनतपुरा, जयपुर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए अपीलार्थी को स्थानांतरित/समायोजित किया गया है, जबकि अपीलार्थी वर्तमान में पदस्थापन स्थान पर अधिशेष नहीं है। अपीलार्थी भौतिक विज्ञान विषय का प्राध्यापक है और पूर्व में वर्तमान पद के स्थान पर ममता मीणा को भी उसी स्थान पर पदस्थापित किया गया था, लेकिन ममता मीणा की आदेश दिनांक 28.02.2023 से उप प्रचार्य के पद पर पदोन्नति हो गई है। ऐसे में अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर केवल अपीलार्थी ही पदस्थापित था। ऐसे में अपीलार्थी को अधिशेष मानकर उसका स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है। यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी ने पूर्व में इस अधिकरण के समक्ष स्थानांतरण आदेश दिनांक 12.01.2023 को अपील संख्या 409/2023 से चुनौती दी थी, जिसमें अधिकरण द्वारा आदेश

दिनांक 30.01.2023 पारित कर अपीलार्थी के संबंध में स्थानांतरण आदेश की क्रियान्विति स्थगित रखी गई थी।

3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी का पूर्व का स्थानांतरण आदेश दिनांक 12.01.2023 को स्थगित रखे जाने का मुख्य कारण यह था कि अपीलार्थी को 2 माह 10 दिवस की अवधि में स्थानांतरित किया गया था। ऐसे में अपीलार्थी का अल्प समय में किये गये स्थानांतरण को ध्यान में रखते हुए स्थगन आदेश दिनांक 30.01.2023 पारित किया गया था। अधिकरण द्वारा पारित इस स्थगन आदेश की पालना में अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर पदस्थापित है। यह भी प्रकट होता है कि उपरोक्त अपील का निस्तारण वर्तमान में इस अधिकरण द्वारा किया जा चुका है। उक्त स्थगन आदेश दिनांक 30.01.2023 अपीलार्थी का अल्प समय में स्थानांतरण किये जाने के आधार पर पारित किया गया था। वर्तमान में अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर 1 वर्ष 5 माह से पदस्थापित है। ऐसे में वर्तमान स्थानांतरण आदेश में दुर्भावना होना नहीं माना सकता। चूंकि अपीलार्थी को पूर्व में स्थगन आदेश केवलमात्र अल्प समय में स्थानांतरण किये जाने के आधार पर दिया गया था और अब वर्तमान में अल्प अवधि में नहीं रही है। यह भी प्रकट नहीं होता है कि आलोच्य आदेश केवल मात्र अपीलार्थी को अधिशेष होना मानते हुए पारित किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना प्रकट नहीं होता है।

4. अतः इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)